न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –112/2023

काडी देवी बनाम लक्ष्मी देवी वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे0

प्रार्थीगण की ओर से श्री राजाराम गुर्जर एड0

अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेश मीना एड0 एवं श्री कैलाश चन्द्र बैसला एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 14.10.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सरगना किस्म के व्यक्ति है जिनके द्वारा अप्रार्थी भजनी तथा उसके पुत्र कमलेश से साजिश पूर्वक बिना बताए रजिस्टर्ड विकय पत्र अपने हक में तस्दीक करवा लिया। इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है कि तब तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति को बनाएं रखें। तथा प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर के संबंध में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने भूमि अप्रार्थी संख्या 5 मृतक भजनी पुत्र रामधन से वादग्रस्त भूमि हिस्सा 25/354 दिनांक 21.08.2023 को खरीदना बताया जाकर कब्जे में लिये जाना बताया है। जबकि आज दिन तक भी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने कोई कब्जा नहीं लिया है व ना ही काबिज है। इसलिए मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 की ओर अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में से नियमानुसार जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र भूमि कय की गई है। जिसमें भूमि खरीदने के समय ही अप्रार्थीगण ने कब्जा प्राप्त कर लिया है इसलिए मौका रिपोर्ट आवश्यक नहीं है तथा कब्जा के संबंध में वादीगण की जिम्मेदारी है कि जो भी तथ्य हो स्वंय साबित करें। इसलिए प्रार्थना पत्र कमीश्नर नियुक्ति बाबत खारिज किया जावे। तथा अस्थाई निषे0 के संबंध में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र भूमि कय की गई है जिसका नियमानुसार शुल्क अदा किया गया है। वादीगण/प्रार्थीगण को उक्त विकय पत्र को खारिज करवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

महज विकय पत्र की कियान्विती रोकने की नियत से पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मौका कमिश्नर प्रार्थन पत्र महज साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से पेश किया जाना प्रतीत होता है, यह प्रार्थीगण का दायित्व है कि वे अपनी साक्ष्य स्वंय पेश कर वादपत्र साबित करें न कि न्यायालय की जिम्मेदारी। इसलिए प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्ति बाबत खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया लक्ष्मी द्वारा विवादित भूमि में से जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र भूमि कय की गई है। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विकय पत्र प्रारंभ से ही शून्य होने से मूल वादपत्र के निर्णय तक अस्थाई निषे0 कन्फर्म की जावे। लेकिन विकय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। तथा अप्रार्थीया द्वारा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई है जो नियमानुसार एवं सही है। विकय पत्र के संबंध में प्रार्थीगण को उज्र है तो नियमानुसार सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें। इसलिए अस्थाई निषे0 की आड में विकय पत्र की कियान्विति को रोकना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 दिनांक 04.09.2023 तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर सिकराय जिला-दौसा (राज.)

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (जिला दौसा)

उपखण्ड अधिकारी सिकराय